रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 162] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1983/वैशाख, 10, 1905
No. 162] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1983/VAISAKHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1983

सं. 113/83-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 366(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 57-सीमा-शुल्क, तारीख 26 मई, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "30 अप्रैल, 1983" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 1984" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 355/20/83-सीमाशुल्क-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1983

No. 113/83 CUSTOMS

G.S.R. 366(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 167-Customs, dated the 26th May, 1982, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "30th day of April, 1983", the figures, letters and words "31st day of March, 1984" shall be substituted.

[F. No. 355/20/83-Cus. I]

सं. 114/83-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 367(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 76-सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "30 अप्रैल, 1983" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 1984" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 355/51/83-सीमाशुल्क-1]

एन. शशीधरन, अवर सचिव

No. 114/83-CUSTOMS

G.S.R. 367(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 76-Customs, dated the 31st March, 1978, namely :—

In Paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "30th day of April, 1983", the figures, letters and words "31st day of March, 1984" shall be substituted.

[F. No. 355/51/83-Cus. I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983